प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.10.2025

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद ।

दिनांक 16.10.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया श्रीमती फरजाना पत्नी स्व0 श्री अहसान निवासी गली नं0 5 विश्वकर्मा बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादिया के पति अहसान पर धारदार हथियार से हमला करना तथा अहसान द्वारा विरोध करने पर तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर उसकी हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/351(3)/103(1)/61(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गछन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.10.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों 01.मेजर उर्फ जावेद पुत्र आबिद निवासी ग्राम मछरी थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2. सुहेल पुत्र साबिर निवासी ग्राम मछरी थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को मोदीनगर तिबडा बम्बा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा देशी .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि दिनांक 16.10.2025 को मोदीनगर क्षेत्र में हमारे भाई को मारने वाला अहसान जमानत पर घर आ गया था। हमने अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर अहसान की गोली मार दी थी जिससे अहसान की मृत्यु हो गयी थी और हम मौका देखकर वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मेजर उर्फ जावेद पुत्र आबिद निवासी ग्राम मछरी थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

2. सुहेल पुत्र साबिर निवासी ग्राम मछरी थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

वांछित अभियुक्तगण का नाम पता

1. सादिम

2.राशिद पुत्रगण सियालत निवासीगण ग्राम मछरी थाना भोजपुर

3.पूजा किन्नर

4. मोमीन पुत्र शकूर निवासी नोएडा

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 157 पेटी (140 पेटी देशी शराब व 17 पेटी अंग्रेजी शराब) अवैध शराब बरामद ।

आज दिनांक 26.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त राजू मावी पुत्र लीले राम निवासी टीला शहबाजपुर लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 140 पेटी देशी शराब (FOR SALE IN HARYANA ONLY) व 17 पेटी अंग्रेजी शराब NIGHT BLUE METRO LIQUOR (FOR SALE IN HARYANA ONLY) कुल 157 पेटी अवैध शराब बरामद हुयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि जहाँ से आपने शराब बरामद की है यह प्लाट मेरा ही है । मेरा साथी रूपक मावी पुत्र स्व0 के.सी. मावी निवासी टीला शहबाजपुर लोनी बॉर्डर गाजियाबाद शराब को बेचने-खरीदने का काम करता है और हरियाणा से सस्ते दामों में शराब को लाकर महँगे दामों पर बेचता है । मैं तो सिर्फ उसके साथ इस अवैध शराब तस्करी के लिए पैसे लगाता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

राजू मावी पुत्र लीले राम निवासी टीला शहबाजपुर लोनी बॉर्डर उम्र करीब 46 वर्ष ।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

रूपक मावी पुत्र स्व0 के.सी. मावी निवासी टीला शहबाजपुर लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से कुल 157 पेटी (140 पेटी देशी शराब व 17 पेटी अंग्रेजी शराब) अवैध शराब बरामद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 25 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा (अनुमानित कीमत 253000 रूपये) बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 25/26.10.2025 की रात्रि थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त रोहित पुत्र श्री राजेश निवासी म0न0 जी-13 ओल्ड सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष को अम्बेडकर पार्क पाईपमार्केट के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 25 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त रोहित उपरोक्त के विरुद्ध 8/15 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त रोहित उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त रोहित उपरोक्त अवैध डोड़ा को किसी अज्ञात व्यक्ति से जरिये फोन प्राप्त होता है जिसको गिरफ्तार अभियुक्त पीसकर छोटे- छोटे पैकेट बनाकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आर्थिक एवं अपने रिहायसी शौक पूरा करने के लिए दिल्ली बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. रोहित पुत्र श्री राजेश निवासी म0नं0 जी-13 ओल्ड सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

- 25 किलो 300 ग्राम अवैध डोड़ा (अनुमानित कीमत 253000 रूपये)

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त रोहित उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर एनडीपीएस एक्ट का 01 मुकदमा पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।